



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1858/Type Approval No. 1858

**मद/FOR ITEM: 3 माइक्रोन ल्यूब ऑइल फिल्टर एलीमेंट/
3 Micron Lube Oil Filter Element**

यह प्रमाणित किया जाता है की सी वी आर डी ई, डी आर डी ओ, रक्षा मंत्रालय, आवडी, चेन्नई-600 054, द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स माइक्रोफ्लो फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, सर्वे सं. 599 और 600, कोंडामडुगु विलेज, बीबीनगर (एम), नलगोंडा जिला-508 126, तेलंगाना द्वारा उत्पादित "3 माइक्रोन ल्यूब ऑइल फिल्टर एलीमेंट" पार्ट सं. एमजीबी-एफआईएल-0003, रिविज़न-ए, को असेम्बली आरेखन सं. एमजीबी-एफआईएल-0003, रिविज़न-ए, दिनांक 25 जनवरी 2008 के अनुसार अड्वान्स्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) एवं लाईट कॉम्बेट हेलिकॉप्टर (एल सी एच) में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर. सी. एम. ए (हेलिकॉप्टर) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं. टीएस/क्यूटी/सीवीआरडीई/एपी/एचएएल(आरडब्ल्यूआरडीसी)-एफआईएल/01, दिनांक 26 जून 2007 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "3 Micron Lube Oil Filter Element" bearing the part No. MGB-FIL-0003, Rev - A, designed and developed by CVRDE, DRDO, Ministry of Defence, Avadi, Chennai - 600 054 and manufactured by M/s. Mikroflo Filters Pvt. Ltd., Survey No. 599 & 600, Kondamadugu Village, Bibinagar (M), Nalgonda Dist. - 508 126, Telangana is hereby approved for production as per Assembly Drawing No. MGB-FIL-0003, Rev. A, dated: 25th Jan 2008 for use in Advanced Light Helicopter (ALH) and Light Combat Helicopter (LCH). The product has been tested in co-ordination with RCMA (Helicopter) as per Test Schedule No. TS/QT/CVRDE/AP/HAL(RWRDC)-FIL/01, dated: 26th June 2007. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर. सी. एम. ए (हेलिकॉप्टर), द्वारा एचएएल, बेंगलूरु - 560 017 से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2020, unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Helicopters), C/o. HAL, Bengaluru-560 017, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए'/Appendix 'A'
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए./TA-1858
दिनांक/Date : 24 April 2015
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

24/4/15
[Signature]

[Signature]
(पी. जयपाल /P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)